उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

कमांक B/9389/चार–12–5/2023 जबलपुर, दिनांक 14/12/2023

प्रति,

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,.....(म.प्र. राज्य के.....समस्त)

2. प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय,.....(म.प्र. राज्य के.....समस्त)

विषयः– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं(वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 में संशोधित अधिसूचना के नियम 11 के (दो) खण्ड (तीन) के पश्चात् जोड़े गए नवीन खण्ड (तीनक) के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किए जाने बावत्।

संदर्भः– रजिस्ट्री ज्ञापन बी/8692/चार–12–5/2023, जबलपुर दिनांक 29/11/2023

––00––

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में आपकी ओर मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग,भोपाल के पत्र कमांक 5766/21–ब(एक)/2023 दि. 11/12/ 2023 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

साथ ही यह भी लेख है कि, आपकी स्थापना से दिनांक 01/01/2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए न्यायिक सेवा के अधिकारियों को पेंशन पुनरीक्षित कर बकाया की गणना कर संबंधित अधिकारियों के खातों में बकाया की राशि जमा करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर इस रजिस्ट्री को अवगत कराये जाने की अपेक्षा है ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में कम्पलाइंस रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को प्रेषित की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

13.12.23
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

डेगन

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 5766/21–ब(एक)/2023 भोपाल, दिनांक 11.12.2023

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, जबलपुर

विषय– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 की संशोधित अधिसूचना के नियम 11 के (दो) खण्ड (तीन) के पश्चात् जोड़े गए नवीन खण्ड (तीनक) के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किए जाने बाबत्।

संदर्भ– आपका ज्ञापन B/8692/ चार–12–5/2023, जबलपुर, दिनांक 29/11/2023

उपरोक्त संदर्भित दर्शित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया इस संदर्भ में यह लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीशों को सातवें पे कमीशन के संबंध में पेंशन दिए जाने के बाबत् All India Judges Association vs Union Of India .Writ Petition (Civil) No. 643/2015 order dated 19.05.2023 में आदेश पारित किया गया जिस संदर्भ में विधि एवं विधायी कार्य विभाग से नियम तैयार किये गए जो माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. की फुल कोर्ट कमेटी से अनुमोदित है।

इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.05.2023 की कंडिका 51 लगायत 55 एवं कंडिका 111 की रिकमेंडेशन नं 39.4 अवलोकनीय है। जहां वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में सेवानिवृत्ति के समय काल्पनिक (नोशनल) रूप से दिए वेतन वृद्धि को जोड़कर अंतिम वेतन देकर सेवानिवृत्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में रेड्डी पे कमीशन की सेवानिवृत्ति के पूर्व काल्पनिक (नोशनल) वेतन वृद्धि की अनुशंसा को इन शब्दों में स्वीकार किया :–

"It is therefore directed that the High Courts amend the applicable rule to state that the increment which becomes due to the judicial officer on the day after his retirement may be notionally included in the calculation of his pension as his last pay, subject to the vertical ceiling of Rs. 2,24,100/-."

Registrar General
High Court of M.P.
Jabalpur
12 DEC 2023
Reg. (M)

URGENT
12.12.23
Asstt Registrar (Pension)

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश स्पष्ट हैं एवं सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति दिनांक के पश्चात् की वार्षिक वेतनवृद्धि को सेवानिवृत्ति के समय काल्पनिक (नोशनल) के रूप में जोड़कर अंतिम वेतन निर्धारण किया जाना है । जिसकी सीलिंग लिमिट Rs. 2,24,100/- होगी। इस संबंध में निर्णय की सुसंगत कण्डिका 55 अवलोकनीय है।

साथ ही यह भी लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें नोशनली करस्पॉडिंग स्टेज (Notionally at the corresponding stage) पर रखने संबंधी आदेश दिए गए हैं जो निर्णय की कंडिका 111 के रिकमेंडेशन नं 39.4 के रूप में उल्लेखित है। इस संदर्भ में नियम और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत स्वतः स्पष्ट हैं। तद्नुसार त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

उक्त मार्गदर्शन आपके चाहे अनुसाार आपकी ओर प्रेषित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पेंशन पुनरीक्षित कर बकाया की गणना कर संबंधित अधिकारियों के खातों में बकाया की राशि जमा करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर विभाग को अवगत कराये जाने की अपेक्षा है ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में कम्प्लाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत कर किसी भी प्रकार के अप्रिय आदेश से बचा जा सके ।

(उमेश पाण्डेव)
सचिव
म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग